'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.12.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 24 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 दिसंबर, 2018

सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ परिसंघ की विशाल रैली

सुप्रीम कोर्ट घेराव के दौरान पुलिस ने डॉ. उदित राज को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया गिरफ्तार

हमारी ईमानदारी के बदले पुलिस ने बेईमानी की: डॉ. उदित राज

हमारे 30 हजार से अधिक समर्थकों को पुलिस ने रामलीला मैदान में आने नही दिया : डॉ. उदित राज

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर 2018, डॉ. उदित राज के नेतृत्व में आज लाखों की संख्या में पूरे देश से अजा/जजा, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग से कर्मचारी–अधिकारी एवं आरक्षण समर्थक नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और डीओएम परिसंघ के तत्वावधान में अपने संवैधानिक अधिकार और देश की प्रगति के लिए एकत्रित हुए। रैली के पश्चात् डॉ. उदित राज ने रामलीला मैदान से एलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक के लिए मार्च निकाला लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही डॉ. उदित राज एवं हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन लेकर गए।

डॉ. अम्बेडकर ने संदेह व्यक्त किया था कि ''अगर मुख्य न्यायधीश जजों की नियुक्ति में प्राथमिकता लेता है तो यह अनुचित होगा और इस चीज के लिए हम तैयार नही है''। संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर का कथन सत्य हो रहा है और 1993 से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को लांघा और जजों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। संविधान में न्यायपालिका को कानून का व्याख्यान और लागू करना है लेकिन अंतराल में कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण किया और कानून बनाना, जजों की नियुक्ति करना जांच एजेंसी का काम करना और शासन–प्रशासन को चलाने का कार्य शुरु कर दिया है। वर्तमान में मोनेटरिंग कमिटी के माध्यम से दिल्ली से संपत्तियों को सील करने का कार्य करना शुरु कर दिया है। न्यायपालिका खुद सरकार बन गयी है और मोनेटरिंग कमिटी सरकारी विभाग। चाहे प्रदूषण करने वाले प्रतिष्ठान हो या न, सबको सील किया जा रहा है। अनिधिकृत निर्माण की भी सीलिंग हो रही है जो कि न्यायपालिका के न्यायक्षेत्र में नही है, भले ही कार्यपालिका इस मामले में असफल रही हो फिर भी न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करे, उचित नही है। न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना शुरु कर दिया और तमाम ऐसी जिम्मेदारियों को ओढ़ लिया है जिससे मुख्य कार्य जैसे मुकदमे आदि का निपटारा नही हो पा रहा है। सीलिंग कर रहे तमाम अधिकारी पैसे की वसूली कर रहे है, जब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने गलत रूप से की गयी सीलिंग को रोका तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही चालू की और अंत में अशोभनीय टिपण्णी करके मामले को खत्म कर दिया लेकिन जिन अधिकारियों ने गलती की थी उनके खिलाफ क्यों नही कार्यवाही की गयी ।

दुनिया में कहीं भी एक न्यायधीश दूसरे न्यायधीश की नियुक्ति नहीं करता है । जजों की नियुक्ति की कोई योग्यता नही रह गयी है । जब कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी वकील को जज बनाने की सिफारिश करता है तो क्या उस वकील का कोई साक्षात्कार या परीक्षा होता है या उसके द्वारा लड़े गए मुकदमे की गुणवत्ता की जांच होती है। अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक (डीओम) परिसंघ मांग करता है कि संसद मूल संविधान को बहाल करे और न्यायपालिका अपनी सीमा में रहकर काम करे, इससे न केवल आम आदमी के लिए न्याय पाना संभव हो गया है बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े, अल्पसंख्यक के लिए जज बनने की सम्भावना खत्म हो गयी है। यदि मेरिट पर भी नियुक्ति होती तो कुछ दलित, पिछड़े जज बन गए होते लेकिन भाई–भतीजावाद, जातिवाद और गुरु–शिष्य के गठजोड़ से ऐसी कोई संभावना नही रह गयी है । समयान्तराल दलित, पिछड़े विभिन्न प्रतियोगिता में टॉप भी कर रहे हैं जैसे आईएएस, आईटी आदि में, लेकिन वर्तमान समय में इन वर्गों से योग्यतम व्यक्ति भी जज नही बन पायेगा। इनकी उपस्थिति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो तो उसके लिए केवल आरक्षण ही एक मात्र उपाय है। आम आदमी के लिए न्याय इतना महंगा हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सकता । देश में वकीलों की कमी नही है लेकिन जजों की मेहरबानी से कुछ फेस वैल्यू वाले पैदा हो गए है और इसी वजह से लाखों–करोंडो में फीस मांगी जाती है। जनहित याचिका से नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा कम, कुछ जजों के कृपापात्र वकील और एक या दो नागरिक जनहित याचिका के द्वारा ऐसा नियम कानून बनवाने लगे हैं जो एक वर्ग और देश की आबादी को प्रभावित करता है जिसमे इनकी कोई राय शामिल नही होती है। यह जनतंत्र के खिलाफ है, यह कैसे संभव है कि कुछ चंद लोगों की सोंच पूरे देश के ऊपर थोप दी जाये, वर्तमान में जो काम 545 सांसद नही कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश चंद समय में कर लेते हैं। 2014 में सरकार ने संविधान संशोधन करके नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जिसको न कि संसद ने मंजूरी दी बल्कि 21 राज्यों ने भी पास किया लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से संशोधन खारिज कर दिया गया। संविधान में संतुलन बनाने के लिए यह जरुरी है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका, सरकार के ये तीनो अंग अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे और उसके लिए या तो एनजेएएसी या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू हो। न्यायापालिका का स्वरुप जातिवादी है और वह 20 मार्च के फैसले, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान में बड़ा बदलाव करके स्थापित कर दिया और दिन प्रतिदिन के आधार पर दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ फैसले आते ही रहते है।

दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण में सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति की अहम भूमिका रही है लेकिन सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में इनकी भागीदारी खत्म कर दी गयी है और उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाये हैं जैसे ठेकेदारी, निजीकरण, सरकारी काम को बाहर से कराना (आउटसोर्सिंग) आदि। मंडल कमीशन को 1993 से लागू किया गया लेकिन अब तक 7 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण पूरा न किया जा सका। शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण में जा चुका है जिससे इन वर्गों के लिए अवसर समाप्त हो गया है। न केवल दलित, आदिवासी, पिछड़े बल्कि अल्पसंख्यकों का शोषण भेदभाव और बहिष्कार बढ़ा है, जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्र और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। क्या कोई देश इतने बड़े आबादी को अलग–थलग करके विकास कर सकता है। परिसंघ निजीक्षेत्र में आरक्षण की मांग करता आ रहा है और संसद में प्राइवेट मेम्बर बिल डॉ. उदित राज ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए पेश भी किया है और हम मांग करते हैं कि इसको सरकारी बिल बनाकर संसद में पास किया जाये।

अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला ही नही हो रहा बल्कि शोषण भी तेज हुआ है। दिनों–दिन वातावरण सांप्रदायिक होता जा रहा है। भारत कभी विभिन्न संस्कृतियों का समागम हुआ करता था लेकिन अब बिखराव हो रहा है, कोई भी बुद्धिमान समाज जाति और धार्मिक आधार पर समाज का बटवारा करके तरक्की नही कर सकता। जिस तरह से अनुसूचित जाति/जाति का आर्थिक उत्थान के लिए स्पेशल कमोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान बना है उसी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए भी बनाया जाए। अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ,

शेष पृष्ठ क्र 3 पर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

नाम : डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जन्म : 14 अप्रैल, 1891, जन्मस्थान: महू, इंदौर, मध्यप्रदेश, पिता : रामजी मालोजी सकपाल, माता : भीमाबाई मुबारदकर, जीवनसाथी : पहला विवाह– रामाबाई अम्बेडकर (1906–19 35), दूसरा विवाह : सविता अम्बेडकर (1948–1956), शिक्षा : एलफिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे विश्वविद्यालय, 1915 में एम. ए. (अर्थशास्त्र),1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी. एचडी,1921 में मास्टर ऑफ सायन्स, 1923 में डॉक्टर ऑफ सायन्स, संघ – समता सैनिक दल, स्वतंत्र श्रम पार्टी, अनुसूचित जाति संघ।

राजनीतिक विचारधारा : समानता

धार्मिक विश्वास : जन्म से हिंदू धर्मय, 1956 के बाद बौद्ध धर्म अपनाया

प्रकाशन : अछूत और अस्पृश्यता पर निबंध जाति का विनाश (द एन्नीहिलेशन ऑफ कास्ट), वीजा की प्रतीक्षा (वेर्टिंग फॉर ए वीजा)।

मृत्यु : 6 दिसंबर, 1956

भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अंबेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है, जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था जिसे देखते हुए अंबेडकर जी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश की समाजिक स्थिति में काफी हद तक बदलाव किया।

भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन– डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्यप्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता–पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे थे अपने परिवार में सबसे छोटे थे इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अंबेडकर जी मराठी परिवार से भी तालोक्कात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अम्बावाडे से संबंध रखते थे जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हैं। वे महार जाति यानि की दलित वर्ग से संपर्क रखते थे जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रुप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं दलित होने की वजह से उन्हें अपने उच्च शिक्षा पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होनें उच्च शिक्षा हासिल की। और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा :-

डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों का फायदा मिला लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। दरअसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास रुम के अंदर तक बैठने की अनुमति नहीं थी और तो और यहां उनको पानी भी नही छूने दिया जाता था, स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था वहीं अगर चपरासी छुट्टी पर है तो दलित बच्चों को उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था फिलहाल अंबडेकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षण दापोली में सातारा में लिया। इसके बाद उन्होनें बॉम्बे में एलफिंस्टोन हाईस्कूल में एडमिशन लिया इस तरह वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए। 1907 में उन्होनें मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया इस समारोह में भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्होनें खुद से लिखी गई किताब 'बुद्ध चरित्र' गिफ्ट के तौर पर दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में खासी रूचि थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने एलफिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होनें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होनें 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढने पर मनाही होने से वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। इस कॉलेज से उन्होनें अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षामंत्री बना दिया लेकिन यहां पर भी छूआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होनें लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट्ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। साल 1915 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 'प्राचीन भारत का वाणिज्य' पर रिसर्च की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की, उनके पीएच.डी. शोध का विषय 'ब्रिटिश भारत में प्रातीय वित्त का विकेन्द्रीकरण' था।

लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस फेलोशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन होते हुए भारत वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस में एम.एससी. और डी. एस सी. और विधि संस्थान में बार–एट–लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होनें सबसे पहले स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होनें राज्य के रक्षा सचिव के रुप में काम किया। हालांकि उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जातिगत भेदभाव और छूआछूत की वजह से उन्हें काफी पीड़ा सहनी पड़ रही थी यहां तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। इसके बाद अंबेडकर ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़कर, एक निजी शिक्षक और एकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहां उन्होनें कंसलटेन्सी बिजनेस (परामर्श व्यवसाय) भी स्थापित किया लेकिन यहां भी छूआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। आखिरी में वे मुंबई वापस लौट गए और जहां उनकी मद्दत बॉम्बे गर्वमेंट ने की और वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक में राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान उन्होनें अपनी आगे की पढाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए साल 1920 में एक बार फिर वे भारत के बाहर इंग्लैंड चले गए। 1921 में उन्होनें लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस से मास्टर डिग्री हासिल की और दो साल बाद उन्होनें अपना डी.एस.सी की डिग्री प्राप्त की। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉन, जर्मनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने गुजारे। साल 1927 में उन्होनें अर्थशास्त्र में डीएससी किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होनें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रुप में काम किया। 8 जून, 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्धारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था।

छूआछूत और जातिगत भेदभाव, और छूआछूत मिटाने की लड़ाई (दलित मूवमेंट):

भारत लौटने पर, उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपनी जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा था। अंबेडकर जी ने देखा की छूआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी अब तक छूआछूत की बीमारी काफी गंभीर हो चुकी थी जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होनें इसके खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिणबोरो समिति से पहले अपनी ग्वाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होनें दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराईयों को समझने के तरीकों की खोज शुरु कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने और छूआछूत मिटाने के अंबेडकर जी के जूनून से उन्होनें 'बहुक्रित हिताकरिनी सभा' को खोजा निकाला। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होनें कोल्हापूर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से 'मूकनायक' सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के समाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी इसके बाद से लोगों ने भीमराव अंबेडकर को जानना भी शुरु कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रे के इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून काम करना शुरु कर दिया और उन्होनें जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की इन्ही शानदार जीत की बदौलत उन्हे दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आधार मिला। आपको बता दें कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छूआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए उन्होनें हिंसा का मार्ग अपनाने की बजाया, महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होनें दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई की। इस आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी नें यह मांग की है सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सभी के लिए खोले जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अधिकार की भी बात की। यही नहीं उन्होनें महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। साल 1932 में दलितों के अधिकारों के क्रुसेडर के रुप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उन्होनें लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी की विचारधारा का विरोध भी किया जिन्होनें एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसकी उन्होनें दलितों के चुनावों में हिस्सा बनने की मांग की थी। कि बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए जिसे पूना संधि भी कहा जाता है जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाता की बजाय क्षेत्रीय विधायी विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि पूना संधि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के अंदर अस्थाई विधानसभाओं के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पूना संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। 1935 में अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होनें दो साल तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर मुंबई में बस गये, उन्होने यहाँ एक बडे घर का निर्माण कराया, जिसमे उनके निजी पुस्तकालय मे 50 हजार से ज्यादा किताबें भी थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का राजनैतिक करियर साल 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1937 में केन्द्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। उस साल 1937 में अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक 'द एनीहिलेशन ऑफ कास्ट' भी प्रकाशित की जिसमें उन्होंने हिंदू रुढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। इसके बाद उन्होनें एक और पुस्तक प्रकाशित की थी 'कौन थे शूद्र जिसमें उन्होनें दलित वर्ग के गठन की के बारे में व्याख्या की। 15 अगस्त, 1947 में भारत, अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आजाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी (स्वतंत्र लेबर पार्टी) को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ (ऑल इंडिया शेडूल) कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि, अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया। जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जानी जाने लगी लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज से छूआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया हरिजन नाम नगंवार गुजरा और उन्होनें इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि ''अछूते समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान है।" इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को वाइसराय एग्जीक्यूटिव कौंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने, दलित होने के बाबजूद भी डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का मंत्री बनना उनके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी।

भीमराव अंबेडकर जी ने किया भारतीय संविधान का गठन : डॉ.भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश में जातिगत भेदभाव और छूआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छूआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त, 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर के मुताबिक अगर देश के अलग–अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा, इसके साथ ही उन्होनें धार्मिक, लिंग, और जाति समानता पर खास जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरु करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया।

छूआछूत को जड़ से खत्म किया। महिलाओं को अधिकार दिलवाए। समाज के वर्गों के बीच में फैले अंतर को खत्म किया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता, बन्धुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल, 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप कर देश के सभी नागिरकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होनें भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी मद्दत की। आपको बता दें कि उन्होनें अपनी नीतियों के माध्यम से देश आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। इसके साथ ही उन्होनें स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। वे निरंतर महिलाओं की स्थिति में भी सुधार

शेष अगले अंक में

दिल्ली प्रदेश रेहड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ ने 3 दिसंबर की रैली में बढ़चढ़कार भाग लिया

सांसद डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में 3 दिसंबर, 2018 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में लाखों की रैली आयोजित कि गई। जिसमें रहेड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ की ओर से दिल्ली प्रदेश के रेहड़ी-पटरी वालो को जगह सुनिश्चित कि जाए। और रेहड़ी-पटरी टाउन वेंडिंग कमीटी का जिस तरह से टेम्प्रोरी चुनाव पूर्व में हुआ था वो आधा अधुरा था, अब फिर से सभी रेहड़ी-पटरी वालों की सदस्यता के आधार पर टाउन वेंडिंग कमीटी का चुनाव हो और जब तक कमीटी न बन जाए तब तक रेहड़ी-पटरी वालों की सरकार से सुरक्षा प्रदान की जाए, और रैली में संबोधन करते हुए कहा कि जब तक टाउन वेंडिंग कमीटी नहीं बन जाती है, तब तक दिल्ली पुलिस, एम.सी.डी.,एन.डी.एम.सी या किसी अन्य द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो रेहड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ उनकी समस्या का समाधान करता है।

दिल्ली प्रदेश से इस रैली में रेहड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ के लोग अपनी मांगो को लेकर लगभग 7 हजार लोग इकट्ठे हुए और सरकार से अपनी गुहार लगाई कि हमारी सुरक्षा की जाए। डॉ. उदित राज जी द्वारा रेहड़ी-पटरी की हर समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाता है।

रेहड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ के मुख्य लोग जैसे :- अजुंम खान, सुनीता गोला, सुशील कुमार, मुकेश शाह, बनारसी, गूड्डू आलम, लक्की, राजू प्रधान, वीरू, विजय पाल, अजीत यादव, समद कमाल, हनीफ, विमल कुमार चक, समसाद खान, इद्रुल हसन, विमला वास, धर्मवीर, हुकुमसिंह, विजय पासवान, राजेन्द्र प्रसाद, हौसियार सिंह, मुन्ना, कुंदन, अरुन कुमार, प्रमानन्द, विजय कमल, इद्रपाल, सुखबीर सिंह एवं आदि लोगों ने रैली को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया।

रामकुमार सोनकर
महसचिव
रेहड़ी-पटरी मजदूर परिसंघ

***

सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ परिसंघ .....

पृष्ठ क्र 1 का शेष

जिसका मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं, यह पहली संस्था है, जिसने निजी क्षेत्र में सबसे पहले आरक्षण की मांग की थी। यूपीए सरकार ने 2004 में मंत्रियों की एक समिति निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए गठित की थी, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कोर्डिनेशन कमेटी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अधिकारियों की एक समिति गठित की थी, पर ये गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। सरकार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दबाव बनता हुआ देख फिक्की, एसोचेम एवं सीआईआई जैसी उद्योगपतियों की संस्थाओं ने सरकार से दरख्वास्त की कि उन पर आरक्षण थोपा न जाए बल्कि वे स्वयं दलितों को उद्यमी बनाने के लिए कोचिंग, ट्यूशन एवं ट्रेनिंग इत्यादि प्रदान करेंगें, पर उन्होंने यह वायदा भी नहीं निभाया। डॉ. उदित राज ने संसद में प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाये और इसे सरकारी बिल में परिवर्तित करके संविधान में प्रावधान किया जाये ताकि आरक्षण निजी क्षेत्र में दलितों एवं पिछड़ों को दिया जा सके । निजीकरण ने ऐसे शोषण का रूप धारण कर लिया है, जो कि विश्व में शायद ही अन्यत्र देखने को मिलता है। चौथी श्रेणी की लगभग सभी भर्तियां ठेके पर की जा रही हैं, जहां वेतन तो कम है ही, ये वेतन भी मजदूरों को पूरा नहीं दिया जाता। ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद करना चाहिए और जहां यह प्रथा चल रही है, वहां सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये देखें कि मजदूरों का वेतन बिना कटौती के उनके बैंक खातों में जमा हो। इस ठेकेदारी प्रथा के सबसे ज्यादा शिकार सफाई कर्मचारी हैं। एक प्रदेश से बना जाति प्रमाण-पत्र को सभी प्रदेशों में मान्यता मिले। खाली पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में आबंटित जमीन के मालिकों को 30-40 साल बाद भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों (डिओएम) परिसंघ की प्रमुख मांगे :-

1. दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुरक्षित हो
2. निजी क्षेत्र एवं उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो
3. ओबीसी के खिलाफ अत्याचार पर रोक लगे
4. आरक्षण कानून बनाओ
5. सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो
6. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
7. देश में समान शिक्षा नीति लागू हो एवं भूमिहीनों को भूमि
8 अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
9. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
10. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी
11. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
12. महिला सशक्तिकरण
13. रेहड़ी-पटरी वालां को स्थाई जगह एवं लाइसेंस दिया जाए

रैली में विभिन्न प्रदेशों के नेताओं जैसे - देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंहमार, गिरीश चन्द्रा पाथरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), एम.एन. चौखांद्रे, सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यावान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह धारू (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, विश्राम मीना, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन ठेपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्ट्या राव, रतनाम, (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्रता बातूल (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), कृष्णा मुर्ती, जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी. सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र बिश्वास (त्रिपुरा) आदि ने विशेष प्रयास करके रैली को सफल बनाया।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते हुए डॉ. उदित राज जी को गिरफ्तार किया गया

रामलीला मैदान में रैली कर कई मांगों पर आवाज की बुलंद

सांसद उदित राज ने न्यायपालिका पर साधा निशाना

नई दिल्ली। रामलीला मैदान में अपनी करीब एक दर्जन मांगों के लिए विशाल रैली आयोजित कर सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए अपने समर्थकों के साथ निकले सांसद डॉ. ...

न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करने लगी है और सरकार बन गई है। वर्तमान में मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से दिल्ली में संपत्तियों को सील करने ...

ये थी परिसंघ की मांगे

रैली के दौरान दर्जन भर मांगे सरकार के सामने रखते हुए डॉ. उदित राज ने कहा कि दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुरक्षित हो, निजी क्षेत्र एवं उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो, ओबीसी के खिलाफ अत्याचार पर रोक लगे, आरक्षण कानून बनाओ, सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू हो, देश में समान शिक्षा नीति लागू हो एवं भूमिहीनों को भूमि दी जाए, अनुसूचित जाति योजना एवं जनजाति उप योजना कानून बनाओ, एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो, महंगाई दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण, महिला सशक्तिकरण हो और रेहड़ी-पटरी को स्थाई जगह एवं लाइसेंस दिया जाए।

राज के नेतृत्व में सोमवार को रामलीला में देश भर से अजा, जजा, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग से कर्मचारी-अधिकारी आरक्षण समर्थक इकट्ठा हुए थे। अ... जाति जनजाति संगठनों का अखिल ...

Rally 2018

नवोदय टाइम्स 4th Dec 2018

सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रैली, सांसद उदित गिरफ्तार

रामलीला मैदान में रैली के बाद सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए मार्च शुरू करते ही पुलिस ने उदित राज को गिरफ्तार कर लिया।

एससी, एसटी फेडरेशन तले किया प्रदर्शन

[illegible]

न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में मिले आरक्षण : उदित राज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा सांसद और अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सोमवार को रामलीला मैदान में रैली की, जिसमें देशभर से हजारों लोग शामिल हुए। रैली के बाद सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने जा रहे भाजपा सांसद और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका में संतुलन जरूरी है। इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

... कहा कि आम आदमी के लिए ...

सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने जाते सांसद उदित राज को गिरफ्तार करते पुलिसकर्मी

... कम करने की साजिश हो रही है। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण जरूरी है। उन्होंने इसे लेकर संसद में निजी बिल भी पेश किया है, इसे सरकारी बिल बनाकर संसद में पास किया जाए। देश में अल्पसंख्यकों का शोषण होने के साथ ही उन पर हमले भी तेज हुए हैं। वातावरण सांप्रदायिक होता ...

न्यायपालिका के खिलाफ मार्च निकालने के लिए भाजपा सांसद हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली, (वीअ)। भाजपा सांसद उदित राज को अखिल भारतीय एससी...एसटी संघ के अन्य सदस्यों के साथ रामलीला मैदान के नजदीक सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। वह उच्चतम न्यायालय तक विरोध मार्च निकालने का प्रयास कर रहे थे। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद की अध्यक्षता में रैली का आयोजन विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जा रहा था जिसमें उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व ... न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका ... विधायिका के अधिकारों पर ... अतिक्रमण के मुद्दे शामिल थे। ... कहा, हम अदालत की ... ते है। न्यायपालिका ... और विधायिका ... क्षेत्र चिह्नित ... का लगातार ... यिका के अधिकारों ... कर रही है।

उदित राज ने किया प्रदर्शन, गिरफ्तार

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (देशबन्धु)। राजधानी के रामलीला मैदान में आज पूरे देश से अजा-जजा, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग से कर्मचारी-अधिकारी एवं आरक्षण समर्थक जुट और फिर सांसद डॉ. उदित राज ने रामलीला मैदान से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही डॉ. उदित राज एवं हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया और देर शाम को राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया।

उन्होंने एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने संदेह व्यक्त किया था कि अगर मुख्य न्यायधीश जजों कि नियुक्ति में प्राथमिकता लेता है तो यह अनुचित होगा और इस चीज के लिए हम तैयार नहीं है। संविधान ... अम्बेडकर का कथन ...

> न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करे, उचित नहीं है : उदित राज

न्यायपालिका को कानून का व्याख्यान और लागू करना है लेकिन अंतराल में कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण किया और कानून बनाना, जजों की नियुक्ति करना, जांच एजेंसी का काम करना और शासन-प्रशासन को चलाने का कार्य शुरू कर दिया है।

... कहा कि वर्तमान में ...

का कार्य करना शुरू कर दिया है। न्यायपालिका खुद सरकार बन गई है और मोनेटरिंग कमिटी सरकारी विभाग, चाहे प्रदूषण करने वाले प्रतिष्ठान हो या न, सबको सील किया जा रहा है।

अनधिकृत निर्माण की भी सीलिंग हो रही है जो कि न्यायपालिका के न्यायक्षेत्र में नहीं है, भले ही कार्यपालिका इस मामले में असफल रही हो फिर भी न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करे, उचित नहीं है। न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया और तमाम ऐसी जिम्मेदारियों को ओढ़ लिया है जिससे मुख्य कार्य जैसे मुकदमे आदि का निपटारा नहीं हो पा रहा है।

सीलिंग कर रहे तमाम अधिकारी पैसे की वसूली कर रहे है, जब उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी एक न्यायधीश दूसरे न्यायधीश की नियुक्ति नहीं करता है। जजों की नियुक्ति कि कोई ... गई है।

भाजपा नेताओं ने बनाई दूरी

इस बड़े कार्यक्रम से भाजपा नेताओं ने दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम की अगुवाई सांसद उदितराज कर रहे थे तो माना जा रहा था कि दिल्ली के अन्य सांसद व स्थानीय भाजपा नेता भी इस कार्यक्रम में आ सकते है, लेकिन कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री सलमा आगा, सांसद राजकुमार ही मुख्य चेहरे के रूप में मंच पर नजर आए। इसके अलावा केवल परिसं स्थानीय नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया।

प्रदर्शन के दौरान उदित राज सहित अन्य को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

सुप्रीम कोर्ट घेरने से पहले हिरासत में

अखिल भारतीय परिसंघ के चेयरमैन और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद डॉ. उदित राज को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रामलीला मैदान से सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए जा रहे थे। पुलिस ने सोमवार को रामलीला मैदान से निकलते हुए ही सैकड़ों ...

BJP MP detained for attempting to take out march against judiciary

Staff Reporter
New Delhi

BJP MP Udit Raj, along with several members of the All India Confederation of SC/ST Organisations, was detained near the Ramleela Ground here Monday for attempting to lead a protest march to the Supreme Court.

A rally was organised by the confederation chaired by the North-West Delhi MP, raising various issues, including the representation of the Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and minority communities in the higher judiciary and the alleged encroachment of legislative and executive roles by the judiciary.

"We are not committing contempt of court. The jurisdiction of the judiciary, executive and legislature is specified. But the judiciary has continuously been encroaching into the jurisdiction of the executive and legislature," Raj said.

He also criticised the collegium system of appointing judges in the higher judiciary and raised the issue of representation of SC/ST community members in the high courts and the Supreme Court.

The MP also demanded the scrapping of a Supreme Court-mandated monitoring committee for overseeing the sealing drive in Delhi, saying it was working as if it was a government agency.

BJP MP from Kurukshetra (Haryana) Raj Kumar Saini also addressed the rally.

Agha pitched for unity of Dalits and minorities to achieve their goals and assert their rights.

Raj, along with his supporters, later tried to take out a protest march towards the Supreme Court, but the exit of the Ramleela Ground was blocked with barricades by the police.

The MP was detained, along with his supporters, and taken to a police station.

रैली | कोर्ट पर कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों के हनन का लगाया आरोप

बंदिश की मांग को लेकर उदित राज ने दी गिरफ्तारी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): न्यायालयों के अधिकारों की सीमा तय करने की मांग को लेकर सोमवार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद डॉ. उदित राज ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और डीओएम परिसंघ के बैनर तले हुई इस रैली में सर्वोच्च न्यायालय का सांकेतिक घेराव करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। रैली में हरियाणा से सांसद राजकुमार सैनी और मशहूर बॉलीवुड गायिका सलमा आगा ने भी उदित राज का समर्थन करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति व मुसलमानों से भी इस संघर्ष करने की अपील की। न्यायालयों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उदित राज ने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उन्होंने उच्च आदलतों पर भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालतें अधिकारों का अतिक्रमण कर प्रोजेक्ट रुकवा रही हैं, शासन प्रशासन का काम कर रही हैं, खुद जांच एजेंसी बन रही हैं, जिसकी वजह से इनका मूल काम बाधित हो रहा है। उनका आरोप है कि अदालतों का काम कानून के अनुसार न्याय करना है और विधायिका काम कानून बनाना, लेकिन अब कोर्ट खुद ही कानून बना

उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद डॉ. उदित राज गिरफ्तारी देते हुए।

सीलिंग के लिए कोर्ट को दोषी ठहराया

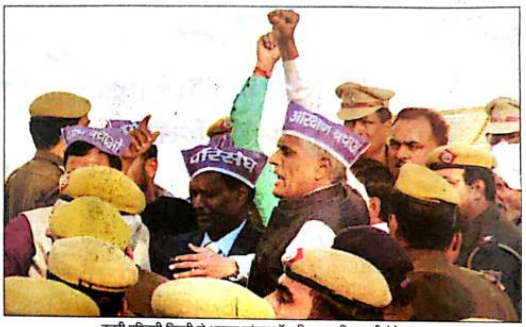

उदित राज यहीं नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली में चल रहे सीलिंग के लिए भी सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। उनका कहना है कि यह कोर्ट का काम ही नहीं है। इससे लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं सील तोड़ने के मामले पर अपने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का समर्थन करते हुए कहा जब तिवारी दोषी ही नहीं थे, तो फिर झाड़ क्यों लगाई? वहीं जब सीलिंग करने वाला अधिकारी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ सजा क्यों नहीं सुनाई।

'जिसकी जैसी संख्या भारी, वैसी हिस्सेदारी'

हरियाणा के सांसद राजकुमार सैनी ने संख्या के अनुसार आरक्षण की मांग की। उनका कहना है कि हरियाणा में केवल दस प्रतिशत लोगों के पास 52 प्रतिशत नौकरियां हैं लेकिन 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के पास केवल 12 प्रतिशत नौकरियां हैं वह भी चतुर्थ श्रेणी की। इस मामले पर अदालत और सरकारों पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इन पर दो ढाई सौ लोगों का कब्जा होने की बात कही। वहीं कोर्ट पर आरोप लगाया कि वह सरकारों के फैसलों पर स्टे लगाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है।

3 दिसंबर, 2018 की रैली कुछ झलकियाँ

डॉ. अम्बेडकर और हनुमान

डॉ. उदित राज

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का चाहे जन्मदिन हो या पुण्यतिथि दोनों बड़े राष्ट्रीय पर्व हो चुके हैं । जन्मदिन तो महीनों मनाया जाता है और समयांतराल में पुण्यतिथि जो 6 दिसम्बर को होती है, इसका भी महत्त्व बढ़ने लगा है। इनका योगदान संविधान बनाना, दलित उत्थान, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण आदि क्षेत्रों मे रहा है। जिन्दगी के आखिरी पड़ाव में अर्थात 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए आगाज दिया कि भारत को जातिविहीन समाज बनाना है, वर्षों इंतजार करते रहे कि हिन्दू धर्म में सुधार होगा, जब ऐसा होते उन्होंने देखा नही तो वैकल्पिक धर्म की तलाश शुरू करी। उन्होंने इस्लाम एवं सिख धर्म का गहन अध्यन किया और इसाई धर्म को और अंत में झुकाव सिख धर्म में हुआ लेकिन वहां भी जातपात देख कर निराश हुए और अंत में बौद्ध धर्म अपनाया।

डॉ. अम्बेडकर के योगदान के कई पक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ जी के हाल ही में दिए गए बयान के बाद अचानक डॉ. अम्बेडकर और वे आमने-सामने हो गये हैं। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज का गहन अध्यन करने के बाद यह पाया कि जाति ही भारत के पराजय, गरीबी और पिछड़ेपन का कारण रही है और बिना निषेध के कुछ ज्यादा किया नही जा सकता है। उनका प्रसिद्ध दस्तावेज जाति निषेध (Annihilation of the caste) उनके समग्र दर्शन को दर्शाता है। जो डॉ. अम्बेडकर के अनुयायी है वे इस दस्तावेज को या तो पढ़ा है या तो सुना जरुर है, यह अलग बात है वे खुद ही व्यावहारिक जीवन में नही उतार पाए हैं और भयंकर जातपात के झंझावातों में फसे हुए हैं, बाहर से लगता है कि सारे दलित जातियां एक हैं लेकिन अन्दर से सब अपने घोसले में ही रहते हैं ।

योगी आदित्यनाथ ने हनुमान दलित वनवासी थे यह कहकर के सच को स्वीकारा है कि अगर सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई कारण चुनाव में होता है तो वह जाति ही होती है। अब सभी दल खुलकर के जाति का सम्मेलन और उनके जातियों में पैदा हुए महापुरुषों को महत्त्व देना शुरू कर दिया है। कांशीराम जी ने सबसे पहले जाति स्तर पर सम्मलेन और उनकी भागीदारी की। बात ईमानदारी से शुरू करी, दूसरी पार्टियाँ भी करती थी लेकिन परदे के पीछे, समयांतराल पर्दा झीना होता गया और अब तो हट ही गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर-प्रदेश में 66 दलित जातियों को 7 समूह में विभाजित किया है जैसे चमार, धोबी, पासी, खटिक, कोरी, बाल्मीकि और अन्य। अन्य में उन जातियों को रखा है जिनकी संख्या कम है, उनके प्रादेशिक सम्मेलन कर दिए गए हैं और अब मंडल और जिले स्तर पर होना शुरू होगा। क्या एक दशक पहले कोई करने की सोच सकता था ? इसी परिपेक्ष्य में योगी जी ने हनुमान की जाति बताई ताकि दलित, आदिवासी वोट मिल सके। इस बयान के बाद कुछ विवादों ने भी जन्म लिया जैसे - ब्राहमणों के द्वारा विरोध होना। दलितों ने कुछ जगह स्वागत करते हुए मंदिर भी कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त तमाम तरह के विवाद उठ खड़े हुए कि भगवान को जाति में नही बांटना चाहिए जो लोग इस मत के हैं वो सच्चाई नही देख पा रहे हैं। अब हनुमान की जाति पर कब्जा प्रतिस्पर्धा हो गयी है कि कुछ उन्हें क्षत्रिय, तो कुछ उन्हें ब्राहमण मानते हैं। आज हनुमान जी अगर होते तो इस झगडे का विवाद खत्म हो जाता है कि वो किस जाति के हैं। बड़े भगवानों की तो पहले ही जातियां बताई जा चुकी है जैसे कि राम को क्षत्रिय वंशज, कृष्ण यदुवंशी, भगवान परशुराम ब्राहमण वंशी, भगवान अग्रसेन अग्रवाल वंशी। हनुमान जी ने क्या गुनाह कर रखा था कि अभी तक उनकी जाति नही बताई गयी और इस तरह से योगी जी ने उनके ऊपर एहसान भी कर दिया और जाति राजनीति की सच्चाई है यह भी बता दिया है।

भारतीय समाज कितना विरोधाभाषी है जो दुनिया में अद्वितीय है, कहना कुछ और करना कुछ। हम लोग आर्थिक भ्रष्टाचार को सबसे खराब मानते हैं जबकि उससे ज्यादा हानिकारक कहीं बौद्धिक बेईमानी है। चुनाव के दौरान भाषण और उपदेश जाति से ऊपर उठकर के दिए जाते हैं जो कि यथार्थता से परे हैं। शायद ही किसी महापुरुष ने इतना बौद्धिक ईमानदारी दिखाई होगी जो डॉ. अम्बेडकर ने दिखाई, यह कहना गलत नही होगा कि वे एक विशुद्ध ईमानदार थे। यह कैसी विडम्बना है कि एक तरफ भारत सरकार सहित परिनिर्वाण दिवस मनाये और दूसरी तरफ उस महापुरुष के सिद्धांत को नही के बराबर माना जाये। भारतीय समाज के पिछड़ेपन के कारणों को अगर देखे तो जाति सबसे बड़ा कारण है। अपवाद को छोड़कर सभी जाति के घोसले में रहते हैं, मानों मशीन नही है जैसा कि हम समझने की कोशिश करते हैं। शादी-विवाह, जीना-मरना, लेन-देन, खान-पान अदि जीवन की अहम क्रियाएँ जाति में ही होती हैं और धार्मिक समागम, वोट देने के समय या दैनिक कार्यों में एक दूसरे से मिलने के समय यह सुनना और समझना कि सब समान है, अपने आप में बनावटी असत्य और धूर्तता है। देखना होगा कि कितने सदियों तक परिनिर्वाण दिवस मनाते बीत जायेंगे कि तब जाकर जाति का विनाश होगा।

***

सांसद डॉ. उदित राज ने लोकसभा में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सांसद डॉ. उदित राज ने 12 दिसंबर, 2018 को नियम 377 के अंतर्गत न्यायधीशों की नियुक्ति एवं पीआईएल के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। डॉ. उदित राज ने कहा कि ''भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी एक न्यायधीश दूसरे न्यायधीश की नियुक्ति नही करता है''। जजों की नियुक्ति की कोई योग्यता नहीं रह गयी है। जब कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी वकील को जज बनाने की सिफारिश करता है तो क्या उस वकील का कोई साक्षात्कार या परीक्षा होता है या उसके द्वारा लड़े गए मुकदमे की गुणवत्ता की जांच होती है। आम आदमी के लिए न्याय इतना महंगा हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई

कोर्ट में पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सकता। देश में वकीलों की कमी नही है लेकिन जजों की मेहरबानी से कुछ फेस वैल्यू वाले पैदा हो गए है और इसी वजह से लाखों -करोंडो में फीस मांगी जाती है। जनहित याचिका से नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा कम, कुछ जजों के कृपापात्र वकील और एक या दो नागरिक जनहित याचिका के द्वारा ऐसा नियम कानून बनवाने लगे हैं जो एक वर्ग और देश की आबादी को प्रभावित करता है जिसमे इनकी कोई राय शामिल नही होती है। यह जनतंत्र के खिलाफ है, यह कैसे संभव है कि कुछ चंद लोगों की सोंच पूरे देश के ऊपर थोप दी जाये, वर्तमान में जो काम 545 सांसद नही कर पा रहे हैं ,सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश चंद समय में कर लेते हैं।

***

डॉ. उदित राज : द क्रुसेडर

मधु चन्द्रा

डॉ. उदित राज का जीवन आरक्षण और अंग्रेजी की शक्ति के माध्यम से शिक्षा द्वारा लाए गए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की कहानी है। डॉ. उदित राज और उनकी पत्नी में बड़ा सामाजिक अंतर था, लेकिन शादी के बाद जिस तरह का समंजस्य इनके बीच स्थापित हुआ वह एक मिशाल है। तपस्या प्रोडक्शंस द्वारा यह उत्तर पश्चिम दिल्ली से निर्वाचित सांसद डॉ. उदित राज के जीवन पर आधारित एक डाक्युमेंटरी फिल्म बनायी गयी है। भारत में चीन के राजदूत लुओ झाहुई ने उनके बारे में कहा कि समाज के निचले हिस्से से उठकर आए डॉ. उदित राज भारत के दलितों के लिए एक योद्धा से कम नहीं हैं। वास्तव में, डॉ. उदित राज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक क्रुसेडर बन गए। उन्होंने भारतीय संविधान द्वारा पदत्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा बहाल रखने में सराहनीय कार्य किया। मैंने पहली बार उनका नाम तब सुना जब वे स्वतंत्र भारत के बाद 4 नवंबर, 2001 को आयोजित सबसे बड़े दलित आंदोलन में से एक का नेतृत्व कर रहे थे। पूरे भारत से लाखों दलित राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए, जहां डॉ.उदित राज ने हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का फैसला किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली घटना को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा अंतिम समय में ग्राउंड की परमीशन कैंसिल करके इसे रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद यह घटना अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली में घटी। यहीं पर डॉ. उदित राज ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपना नाम राम राज से बदलकर उदित राज रखा।

इसके बाद, मैंने 14 अप्रैल, 2003 को चंडीगढ़ में पहली बार उनसे मुलाकात की, जहां डॉ बी. आर. अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहां सैकड़ों वाल्मीकि समुदाय के नेताओं ने बफेलो पूजा की और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। गाय की पूजा करने के बजाय बफेलो पूजा की खबर उच्च जाति के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। डाउन ट्रोडेन सोसाइटी के निचले हिस्से में से एक व्यक्ति डॉ.उदित राज की कहानी, जो बाद में एक क्रुसेडर बन गई है, भारत के हाशिए वाले लोगों के लिए आरक्षण और अंग्रेजी की शक्ति क्या कर सकती है, इसकी एक जीवंत कहानी है।

डॉ उदित राज का जन्म उत्तर भारत के इलाहाबाद से 15 किमी दूर रामनगर नामक एक छोटे से गांव में दलित परिवर में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा अपने गांव के पास एक प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुई। आगे की शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। वह अपने गांव से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन तक साइकिल चलाते थे। 1980 में, उन्हें दिल्ली के बेहतरीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। यहां भेजने के लिए उनके पिता ने तीन सौ रुपये ऋण लिया था। जब वह जेएनयू में पढ़ रहे थे, उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए आवेदन किया था। वह परीक्षा देने के लिए मेरठ गए, लेकिन परीक्षा देने के बजाए उस दिन किसानों के विरोध में हो रहे आंदोलन में शामिल हो गए। यह उनके संघर्षशील जीवन का एक प्रमाण है।

1988 में प्रतिष्ठित भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हुए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीमा राज से मुलाकात की। उन्हीं से 24 मार्च,1990 को शादी हुई। उच्च जाति से होने के बावजूद श्रीमती सीमा राज के माता-पिता ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसे धूम-धाम से करने का निर्णय लिया था लेकिन डॉ. उदित राज ने विवाह में बहुत पैसा खर्च करने का विरोध किया। उनका मत था कि ऐसे समारोहों में पैसा व्यर्थ करने के बजाय सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए।

आप सभी से मैं व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करता हूं कि इस सच्ची और प्रेरणादायक डाक्युमेंटरी को अवश्य देखें। इससे प्रेरणा मिलती है कि आर्थिक व सामाजिक स्तर नीचे होने के बावजूद डॉ. उदित राज इतनी ऊंचाईयों को छू सकते हैं, तो कोई भी इनसान इनके जैसा बन सकता है।

Tamil Nadu supports for Rally of All India Confederation of SC/ST Organization

Jai Bheem, Namabudhaya

Dear brothers and sisters Jaibheem ,We the people of Tamilnadu express our gratitude and whole hearted support to our National chairman , the crusader and the best parliamentarian awardee Dr. Udit Raj Ji. The only legend today taking all our SC/ST's and OBC's issues at various level of government to save our constitutional provisions.

After Dr. Baba Saheb Ambedkar Ji, our National chairman, Dr.Udit Raj Ji is the only personality frequently visiting all the 29 states in India and interacting with our people and solving their issues.

Dear brothers, we would like to inform you that all our brothers gathered in Delhi from all corner of the country to support the All India Confederation of SC/ST Organization's Mega Rally. Under my leadership nearly 1000 peoples participated from Tamil Nadu.

To Support this social cause Dr. Airport Moorthy Purachitamizhagam, Shri R.Muthaiah and team from Food Corporation of India, Shri S.N.Babu and Velmurugan team from ICMR, Shri.Nethaji Kumar, Thiruvallur District president and Team, Shri. SadhaSivam and Sundarajan and team from Dr. Ambedkar National employees Union from OCF, Avadi, Shri. Thangaraj and Ravichandran Team from OCF SC/ST EWA, Shri. Kumar and Dhanasekaran HVF SC/ST EMP union, Shri. Chellaiahmurugan and team from fisheries deptt., Shri.Srinivasan and team from census dept, K. Ravichandran and team from SAIL, Salem, Shri. City Babu and team from vellore Dist with Womens and Shri.P.N.Perumal and team from BSNL and many other organizations participated. Vijayan Salem CVRD, Shri .manickamkannan and Kalimuthu also gathered with mass.

Dear Leaders and Brothers, Our National Chairman raised more than 100 questions in the parliament to save our constitutional birth rights. Govt of India enacted rules and law whereas it was snatched away by the High court and Supreme court. To get engineering degree, JEEexams, to get Jobs in Govt of India and State Govt there is examination for us. Where as to become judges in high court and supreme courts nothing is required other than influence from these high court and Supreme Court judges over ruling the law as exacted in the parliament.

In the past 4 years Govt of India miserably failed to fill up our backlog vacancies , zero recruitment and privatization is on increasing trend which is highly pathetic and shameful situations. Other than SC/ST's employees and our peoples, the upper caste people understand the importance of reservation therefore, the Patel's, Gujjar's are raising their voice and recently 16% reservation was paused in MP to Support a Particular community, many Govt employees after getting job atart behaving like a upper caste community and are not ready to mingle with our people and fail to pay back to the society .We are divided by small and petty issues.

Dear friends, the future of SC/ST's and Dalit's is under threat. So we should form Dalit youth forces to fight against atrocities. The days ahead for SC/ST's and OBC's in the country is under threat and we may have to take arms in our hands to protect our life. Such a painful and pathetic situation is prevailing. So our unity is required to come out to the streets and fight against this attitude. It is need of the hour to tackle, handle, lead and to give voice for our rights. Dr.Udit Raj Ji, National Chairman of All India Confederation Of SC/ST organization is the only living Legend available to us.

In Tamil Nadu the Caste based atrocities are on the higher side. Our Women, children are unable to live peacefully. Many honour killing on intercaste marriage have increased. Recently in Hosur, Nandish and Swathi were not allowed to enter in temples and a 13 year old female child Rajalakshmi was assassinated for non corporation on Sex. SC/ST Atrocities Act is not forcefully implemented in our state. Our humble appeal is to take up the issue in the upcoming parliamentary session. Through this rally, we urge the Govt to enact law particularly on honour killing. Govt of India and various state Govts introduced helpline numbers to introduce many schemes and we are making an appeal to Govt of India and our honourable National Chairman to kindly take up this issue in the parliament to have separate help line number to SC/STs, to register our issues as and when it happen in any corner of this country. The complaint registered on the helpline will facilitate us to pass our genuine issues. Govt of India has not filled up backlog vacancies and new recruitments have also not been carried out. Ultimately all these posts were abolished. We have lost huge employment opportunity. Sir, You are the only hope to our community in India. We will always be with you till end of our life. Please take vibrant action for our community awareness. Our youth in particular is misguided and misled by various political parties. We would like to express our gratitude to the chairman for supporting Tamil Nadu always with true love and spirt. We are for you sir, Jai Bheem, Jai Bheem. Thank you very much for the huge supports. Let's continue our support to strengthen the hands of Dr. Udit Raj Ji and All India Confederation of SC/ST's Organization.

Dr. Udit Raj celebrating the success of the rally

Dr. Udit Raj with the state representatives in left and right side

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 24 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 December, 2018

Confederation rally against Supreme Court

Police arrested Udit Raj along with hundreds of activists during the Supreme Court roundup

Police did not allow our 30,000 supporters to come to Ramleela Maidan: Udit Raj

New Delhi, 3rd December, 2018, Today a large number of SC/ST, OBC & Minorities from all over the country held a Rally at Ramleela Maidan, New Delhi under the banner of the All India Confederation of SC/ST Organizations & DOM Parisangh for their legitimate rights, inclusive growth, and development of the country. During the rally, Dr. Udit Raj urged everyone to march towards the Supreme Court along with him. But however Delhi Police arrested him and his supporters and took them to Rajinder Nagar Police Station.

Dr. Udit Raj arrested for marching towards Supreme Court

Dr. Ambedkar aptly said that "To allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of judges is really to transfer the authority to the Chief Justice for which we are not prepared to vest in the president or the government of the day". The apprehension of the father of the constitution proved to be true-the way Supreme Court and High Courts are acting. Since 1993, the Supreme Court by its own judgement has transgressed its defined power and begun appointing the judges. In the Constitution, the role assigned to judiciary is to interpret the law but over the course of time, it usurped the power of the executive and legislature, ranging from making laws, appointing the judges, acting as investigation wing in many matters and giving directions to the administration. Currently, the Supreme Court through the Monitoring Committee is conducting a drive to seal properties in Delhi. The Court has assumed the power of the executive to stop illegal construction and units that are sources of pollution and this is certainly not the jurisdiction of Judiciary. Even if the executive failed in this respect then also it is not justifiable for the judiciary to exceed its jurisdiction. The transgression of its boundary and often overloading itself with unnecessary responsibilities have made judiciary worsen by increasing the backlog and delay in justice. It won't be an exaggeration to say that the Supreme Court is acting like the Govt and the Monitoring Committee is one of its Deptt. The officials engaged in the sealing are extorting money. When Delhi BJP Head and Member of Parliament, Mr. Manoj Tiwari dared to break the seal, he was summoned by SC for Contempt of Court. During the hearing, it was found that sealing was not as per law. Instead of punishing erring officials, the judges closed the matter by reprimanding Mr Tiwari.

Nowhere in the world, Judges appoint Judges, except in India. The worst is happening where there are no defined parameters of merit to select the judges and appointments are made through nepotism, on caste basis and teacher-disciple relation. When a Chief Justice of any High Court recommends the name of any advocate for his selection as judge, what are the criteria? Nothing! The said advocate doesn't appear for any exam or interview nor do we evaluate the quality of his cases. In other words, it can be safely concluded that there is no merit but that the judges are deciding merits of all. The All India Confederation Of SC/ST Organisation (Parisangh) and Dalits, OBCs and Minorities (DOM) have urged the GoI and the Parliament to restore the original position of the Constitution on appointment of judges. This has not only made the Justice unreachable to the ordinary man but also has put complete embargo on SCs, STs, OBCs and minorities to become the judges. Even merit basis selection would have included SC,ST and OBC but in this nepotism and teacher-disciple nexus, there is no remote possibility. Over the period, some SC, ST and OBC are competing against general category candidates and sometimes supersede in services such as IAS/IIT. To ensure justice to SC,ST & OBC and minorities and diversity it is essential to provide reservation to these communities.

A common man, cannot afford to knock the doors of high courts and supreme court to seek justice as remuneration of effective and senior advocates runs into lacs and crores. There is no dearth of lawyers but only a few get favour to be heard and resultantly it has created advocates of face values. The PIL has caused more harm than good. Elite and favoured lawyers join hands with a few private citizens to file PIL and get the law made for whole society without their opinion which is undemocratic. How can a few petitioners, lawyers &judges know the opinion of millions and billions of people? What 545 Members of Lok Sabha cannot do, judges do in minutes. In 2014, the Parliament amended the Constitution and created a National Judicial Appointments Commission(NJAC) for selection of judges which was ratified by 21 states but it was killed by the judiciary before it could take birth. To strike the balance between the organs of the Govt- the legislature, executive & judiciary either NJAC be restored or the All.

Dr. Udit Raj arrested with his supporters for marching towards Supreme Court

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar